Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 1 | (Jan – Mar 2026)

राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका

डॉ. गुलाब सिंह यादव
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, वी. एस. एस. डी. कॉलेज, कानपुर

सारांश

उन्नीसवीं शताब्दी से आरंभ होकर स्वतंत्रता आंदोलन तक हिन्दी पत्रकारिता ने भारतीय समाज में जन-जागरण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। हिन्दी पत्रकारिता का आरंभ 1826 ई. में 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन से माना जाता है, जिसने हिन्दी भाषा को समाचार और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान किया। भारतेन्दु युग में पत्रकारिता ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को बल दिया, जबकि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में पत्रकारिता को वैचारिक अनुशासन और सामाजिक चेतना प्राप्त हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के काल में महात्मा गाँधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा अन्य राष्ट्रवादी पत्रकारों ने अपने लेखन के माध्यम से जनता में स्वाधीनता, स्वदेशी और आत्मसम्मान की भावना को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रेस कानूनों और दमनकारी नीतियों के बावजूद हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया और जनता को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में वैचारिक दिशा, नैतिक ऊर्जा और संगठनात्मक शक्ति प्रदान की तथा स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः इस शोध के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि हिन्दी पत्रकारिता केवल सूचना का साधन नहीं थी, बल्कि वह राष्ट्रीय चेतना के निर्माण की आधारशिला और स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक धुरी थी।

मुख्य शब्दः राष्ट्रीय चेतना, हिन्दी पत्रकारिता, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद, जन-जागरण, राष्ट्र-निर्माण।

मूल आलेख-

राष्ट्रीय चेतना से आशय उस सामूहिक बोध और जागरूकता से है, जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र के नागरिक अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान को समझते हैं तथा उसके प्रति आत्मीयता और उत्तरदायित्व का भाव विकसित करते हैं। यह चेतना व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे राष्ट्रहित, एकता और सामाजिक समरसता के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना का विकास औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष, सामाजिक सुधार आंदोलनों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता ने एक सशक्त माध्यम के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्णबिहारी मिश्र लिखतें हैं- "भारतीय पत्रकार प्रधानतः हिन्दी व कतिपय अन्य भाषाओं के पत्रकार अपनी देशभक्ति के लिए बड़े विख्यात थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने अपूर्व त्याग व बलिदान किया था। देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष तया राष्ट्रीयता का प्रचार करना वे अपना पुनीत कर्तव्य मानते थे।"[1]

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत में राष्ट्रीय चेतना का जो व्यापक जागरण दिखाई देता है, उसके निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। विशेषतः हिन्दी पत्रकारिता ने न केवल जनसंचार का माध्यम बनकर कार्य किया, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण की सक्रिय प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी। औपनिवेशिक शासन के दमनकारी वातावरण में जब भारतीय समाज राजनीतिक अधिकारों, सांस्कृतिक अस्मिता और आत्मगौरव के संकट से गुजर रहा था, तब हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने जनता के भीतर स्वाधीनता, स्वराज और राष्ट्र-निर्माण की चेतना को संगठित एवं सुदृढ़ किया। हिन्दी पत्रकारिता का प्रारंभ उदन्त मार्तण्ड से माना जाता है, जिसने हिन्दी भाषा

को आधुनिक अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान किया। आगे चलकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में पत्रकारिता ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्वर ग्रहण किया, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे वैचारिक अनुशासन और सामाजिक चेतना से समृद्ध किया। स्वतंत्रता आंदोलन के काल में महात्मा गाँधी, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा माखनलाल चतुर्वेदी जैसे व्यक्तित्वों ने पत्रकारिता को राष्ट्रवादी संघर्ष का सशक्त माध्यम बनाया। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में वैचारिक दिशा, नैतिक ऊर्जा और संगठनात्मक शक्ति प्रदान की।

हिन्दी पत्रकारिता का विकास एक व्यापक भारतीय पत्रकारिता-परंपरा का अंग है, जिसकी शुरुआत सामाजिक सुधार और जनजागरण के उद्देश्य से हुई थी। "समाचार-पत्रों को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानने वाले राजा राममोहन राय ने सन् 1819 में 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन आरंभ कर दिया था। सन 1822 में फारसी भाषा में 'मिरातुल अखबार' निकाला था और 1829 में हिंदी 'बंगदूत' भी निकाला था, पर वास्तव में आधुनिक राष्ट्रीयता का प्रथम जयनाद 1857 की क्रांति के बाद ही गूँजा था।"[2] 1857 ई. के बाद भारतीय समाज में नवजागरण और सुधार आंदोलनों का जो प्रवाह प्रारंभ हुआ, वही आगे चलकर हिंदी साहित्य में भारतेन्दु-युग और पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार प्रारंभिक सामाजिक पत्रकारिता से विकसित होकर हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक धुरी बन गई।

भारत में मुद्रण-प्रौद्योगिकी के प्रसार और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से जनसंचार के नए माध्यम विकसित हुए। प्रारंभ में अंग्रेज़ी और बांग्ला पत्रकारिता का प्रभुत्व था, किंतु शीघ्र ही हिन्दी भाषा में भी समाचार-पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। "हिन्दी पत्रकारिता का औपचारिक आरंभ 30 मई 1826 ई. को कोलकाता से प्रकाशित उदन्त मार्तण्ड से माना जाता है।"[3] इसके संपादक पंडित जुगलकिशोर शुक्ल थे। यद्यपि यह पत्र आर्थिक कठिनाइयों और पाठक-वर्ग की कमी के कारण लगभग डेढ़ वर्ष बाद बंद हो गया, तथापि इसने हिन्दी पत्रकारिता की आधारशिला रखी। 'उदन्त मार्तण्ड' ने यह सिद्ध किया कि हिन्दी भाषा में भी समाचार और विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों से अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं, जिन्होंने भाषा के विकास और सामाजिक चेतना के विस्तार में योगदान दिया।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध को हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता में 'भारतेन्दु युग' के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पत्रकारिता को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। उन्होंने 'कवि वचन सुधा' और 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, विदेशी शासन की नीतियों और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्नों को उठाया। भारतेन्दु की पत्रकारिता में भाषा-सुधार, देशभक्ति और सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख थी। उन्होंने हिन्दी को जन-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और उसे राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का कार्य किया। इस प्रकार भारतेन्दु युग ने हिन्दी पत्रकारिता को वैचारिक दिशा और राष्ट्रीय उद्देश्य प्रदान किया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को 'द्विवेदी युग' कहा जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता अधिक संगठित और अनुशासित रूप में विकसित हुई। इस युग के प्रमुख व्यक्तित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने 'सरस्वती' पत्रिका के संपादन के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नई दिशा दी। द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता और राष्ट्रीयता की भावना पर विशेष बल दिया। उनकी संपादकीय नीति में सामाजिक सुधार, स्त्री-शिक्षा, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय एकता के प्रश्न प्रमुख थे। द्विवेदी युग में पत्रकारिता ने वैचारिक परिपक्वता प्राप्त की और वह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक सुदृढ़ आधार बन गई।

इसी विकास क्रम में आगे चलकर छायावाद काल में हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्यिक चेतना के साथ-साथ राष्ट्रीय जागरण के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया। इस काल में पत्र-पत्रिकाएँ केवल समाचार या विचार-विनिमय का माध्यम ही नहीं रहीं, बल्कि वे साहित्यिक आंदोलनों, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय भावना के प्रसार की प्रभावशाली वाहक बन गईं। 'सरस्वती', 'मर्यादा', 'स्त्री-दर्पण', 'चाँद', 'प्रभा', 'माधुरी', 'सुधा', 'विशाल भारत' और 'हंस' जैसी प्रतिष्ठित पत्र-

पत्रिकाओं ने हिन्दी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान की। इन पत्रिकाओं के माध्यम से छायावादी काव्यधारा को व्यापक पाठक-वर्ग प्राप्त हुआ और नई साहित्यिक चेतना का विकास हुआ। 'मर्यादा' का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा बाबू संपूर्णानंद ने किया, जबकि 'स्त्री-दर्पण' में नारी-समस्याओं और महिला लेखन को प्रमुखता दी गई। 'चाँद' और 'प्रभा' जैसी पत्रिकाओं ने साहित्य की विविध विधाओं को स्थान देकर नए लेखकों को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार 'माधुरी' और 'सुधा' ने छायावादी काव्यधारा के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई। प्रेमचंद द्वारा संपादित 'हंस' तथा 'विशाल भारत' जैसी पत्रिकाओं ने साहित्य के साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी गंभीर विमर्श प्रस्तुत किया। इस प्रकार छायावाद काल में हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्यिक विकास, सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया तथा हिन्दी पत्रकारिता को एक सशक्त वैचारिक मंच के रूप में स्थापित किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी पत्रकारिता ने जन-जागरण, राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय समाचार-पत्र केवल सूचना के माध्यम नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक शस्त्र के रूप में कार्य कर रहे थे। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय को उजागर किया तथा जनता को स्वराज के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे राष्ट्रीय अभियानों को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में पत्रकारिता की निर्णायक भूमिका रही। अनेक संपादकों और पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, जुर्माने भरने पड़े और पत्र बंद कर दिए गए, फिर भी राष्ट्रीय चेतना का यह प्रवाह निरंतर चलता रहा। हिन्दी पत्रकारिता ने ग्रामीण और शहरी जनता के बीच सेतु का कार्य करते हुए स्वतंत्रता की भावना को जन-जन तक पहुँचाया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गाँधी ने पत्रकारिता को सत्य, अहिंसा और नैतिकता का माध्यम बनाया। उन्होंने 'यंग इंडिया', 'नवजीवन' और 'हरिजन' जैसे पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार-प्रसार किया। "गाँधीजी के लिए पत्रकारिता जनमत निर्माण का सशक्त साधन थी, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक और संगठित करना था। उन्होंने प्रेस को जनसेवा का माध्यम माना और उसे सत्य के प्रति उत्तरदायी बताया।"[4] गाँधीजी की राष्ट्रवादी पत्रकारिता में सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता-निवारण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे विषय प्रमुख रहे। उनके लेखों ने जनता में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को नैतिक और वैचारिक बल प्राप्त हुआ। "गाँधीजी के पत्रों की तरह ही जवाहरलाल नेहरू के पत्र 'नेशनल हेराल्ड' ने भी आक्रामक पत्रकारिता के रिकॉर्ड बनाए। दिल्ली के 'वीर अर्जुन', खंडवा (म.प्र.) के 'कर्मवीर', राजस्थान के 'राजस्थान केसरी', कानपुर के 'प्रताप', प्रयाग के 'चाँद', 'भविष्य' व 'कर्मयोगी', आगरा के 'सैनिक', लाहौर के 'इन्कलाब' आदि पत्र-पत्रिकाओं ने भी काफी आक्रामक तेवर अपनाए थे। 'भविष्य' के आठ संपादकों को जेल तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।"[5]

स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। वे 'प्रताप' पत्र के संपादक थे, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्भीकता से आवाज़ उठाई। विद्यार्थी जी ने पत्रकारिता को जनसेवा और राष्ट्रीय समर्पण का माध्यम बनाया। उनके लेखों में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वे केवल पत्रकार ही नहीं, बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अनेक बार कारावास झेलने के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1931 ई. में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों के दौरान शांति स्थापित करने का प्रयास करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और बलिदान से भी सशक्त किया।

'कर्मवीर' (जबलपुर) का संपादन माधवराव सप्रे तथा माखनलाल चतुर्वेदी के संरक्षण में हुआ। 'कर्मवीर' पत्र का प्रकाशन 1920 ई. में प्रारंभ हुआ था। यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीयतावादी और साहित्यिक पत्र था। यह पत्र स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक विषयों के साथ-साथ साहित्यिक गतिविधियों को भी स्थान देता

था और राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में सहायक रहा। माखनलाल चतुर्वेदी एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि और निर्भीक पत्रकार थे। वे 'कर्मवीर' और 'प्रभा' जैसे पत्रों से जुड़े रहे और अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों का तीखा विरोध करते थे। उनकी पत्रकारिता में राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वदेशी भावना और जन-जागरण की स्पष्ट झलक मिलती है। वे मानते थे कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि जनता में आत्मगौरव और स्वतंत्रता की भावना जागृत करना है। उनके लेखों और कविताओं ने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कई बार कारावास भी सहना पड़ा। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने भी हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को सशक्त किया। वे ओजस्वी कवि होने के साथ-साथ प्रभावशाली वक्ता और पत्रकार भी थे। उनके लेखों और भाषणों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध और स्वाधीनता की आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने पत्रकारिता को राष्ट्र-निर्माण का उपकरण माना और सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों पर निर्भीकता से विचार व्यक्त किए।

'देश' (पटना) डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संपादन में प्रकाशित हुआ और यह भी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पत्र था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों को जनता तक पहुँचाने का कार्य किया। 'श्रीकृष्ण-संदेश' (कलकत्ता, 1925 ई.) का संपादन लक्ष्मणनारायण गर्दे ने किया। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर लेख तथा समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। इसी प्रकार 'सेनापति' (1926 ई.) नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित रचनाएँ मुख्यतः राष्ट्रीयता से प्रेरित रहती थीं। 'हिंदू पंच' में समाज-सुधार, हिंदी-प्रचार और राष्ट्रीय मुद्दों पर लेख प्रकाशित होते थे।दैनिक पत्रों में 'आज' (वाराणसी, 1920 ई.) ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनमत तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीप्रकाश, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर और कमलापति त्रिपाठी जैसे व्यक्तियों के सहयोग से 'आज' ने राजनीतिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य किया। इसके अतिरिक्त 'स्वतंत्र' (कलकत्ता, 1920 ई.) का प्रकाशन अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने किया, जो गाँधीजी के असहयोग आंदोलन का समर्थक पत्र था और राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान करता था।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक और जन-जागरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भूमिका को साकार करने में विभिन्न हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा, जिनके माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। इन पत्र-पत्रिकाओं ने न केवल राजनीतिक समाचारों का प्रसारण किया, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाधीनता-बोध और सांस्कृतिक गौरव को भी सुदृढ़ किया। हिन्दी पत्रकारिता के आरंभिक चरण में उदन्त मार्तण्ड ने हिन्दी भाषा को समाचार माध्यम के रूप में स्थापित किया। यद्यपि इसका प्रकाशन अल्पकालिक रहा, तथापि इसने हिन्दी पत्रकारिता की आधारशिला रखी। इसके पश्चात भारतेन्दु युग में 'कवि वचन सुधा' और 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' जैसी पत्रिकाओं ने सामाजिक कुरीतियों, स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय चेतना को बल दिया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता को वैचारिक अनुशासन प्रदान करने में अग्रणी रही। इस पत्रिका ने सामाजिक सुधार, स्त्री-शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी उद्योगों के समर्थन जैसे विषयों को प्रमुखता दी। डॉ० नगेंद्र और डॉ० हरदयाल द्वारा संपादित पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में बताया गया है- "बीसवीं शती के प्रथम चरण में हिंदी प्रदेश में दो प्रकार की पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थीं- (1) राजनीतिक, (2) साहित्यिक । 1900 से 1918 ई. तक प्रायः प्रत्येक वर्ष कोई-न-कोई पत्रिका अवश्य प्रकाशित हुई। इस अवधि में प्रकाशित होने वाली राजनीतिक पत्रिकाएँ निम्नलिखित हैं :

1. हितवाणी, 1904, कलकत्ता, सं. रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश देउस्कर।
2. नृसिंह, 1907, साप्ताहिक, सं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी।
3. अभ्युदय, 1907, साप्ताहिक, प्रयाग, सं. मदनमोहन मालवीय।
4. कर्मयोगी, 1909, साप्ताहिक, प्रयाग, सं. सुंदरलाल ।

5. मर्यादा, 1909, मासिक, प्रयाग, सं. कृष्णकांत मालवीय।
6. प्रताप, 1913, साप्ताहिक, कानपुर, सं. गणेश शंकर विद्यार्थी।
7. प्रभा, 1913, मासिक, खंडवा, सं. कालूराम जी।

इस अवधि में कलकत्ता से दो दैनिक समाचार पत्र 'कलकत्ता-समाचार' (1914) और 'विश्वमित्र' (1918) भी प्रकाशित हुए।"[6] प्रताप, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध निर्भीक स्वर उठाया। 'प्रताप' ने किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों की समस्याओं को उजागर किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आंदोलन बनाने में सहायता की। डॉ. रामचंद्र तिवारी ने राष्ट्रीय जन-जागरण हेतु उपस्थित पत्र-पत्रिकाओं की एक सूची प्रस्तुत करते हुए लिखा - "राजनैतिक क्षेत्र में युग की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार साप्ताहिक पत्रों ने अधिक कार्य किया। विशेषतः 'स्वदेश' (1921), 'कर्मवीर' (1924), 'सैनिक' (1924), 'हिन्दूपञ्च' (1926), 'स्वतन्त्रभारत' (1928), 'जागरण' (1929), 'स्वराज्य' (1931), 'नवयुग' (1932), 'हरिजनसेवक' (1932), 'विश्वबन्धु' (1933), 'नवशक्ति' (1934), 'योगी' (1934), 'हिन्दू' (1936), 'देशदूत' (1938), 'संघर्ष' (1938), 'राष्ट्रीयता' (1938), 'चिनगारी' (1938), 'नवज्योति' (1938), 'संगम' (1940), 'जनयुग' (1942), 'लोकवाणी' (1942), 'सावधान' (1942), 'हुंकार' (1942), 'संसार' (1943) आदि ने जन-जागरण में महत्त्वपूर्ण योग दिया।"[7] 'हिन्दी प्रदीप' और अन्य पत्र-पत्रिकाओं ने भी राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया। इन पत्रों ने प्रेस कानूनों और दमनकारी नीतियों के बावजूद राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी भावना, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक एकता की संवाहक बनीं। उन्होंने जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया को वैचारिक आधार प्रदान किया। आशारानी व्होरा लिखतीं है- "भारतीय पत्रकारिता का इतिहास राष्ट्रीयता के भाव का संपोषक और स्वातंत्र्य-संघर्ष में संलग्नता के लिए उद्बोधक रहा है। स्वातंत्र्य-चेतना का जागरण अधिकतर पत्रकारों का ही अभियान था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब भी जहाँ-जहाँ आंदोलन हुए, उस संघर्ष में पत्रकारिता ही मर मिटने का केसरिया बाना पहनकर संग्राम में उतरी और 'राष्ट्रीयता' व 'स्वाधीनता' के दो समानांतर जयघोष हवा में गुंजायमान हो उठे।"[8]

भारतीय पत्रकारिता के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार से चिंतित होकर ब्रिटिश शासन ने समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न कानून लागू किए। इन कानूनों का उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों को सीमित करना और जनमत को नियंत्रित करना था। 1799 ई. में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाचार-पत्रों के प्रकाशन से पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक कर दी गई। सरकार की आलोचना या प्रशासनिक मामलों पर स्वतंत्र टिप्पणी करना प्रतिबंधित था। इस संघर्ष में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने पहल की- "एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ, उसके विरोध में उन्होंने अपने अन्य राष्ट्रीयतावादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। रमेशचंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। 1799 ई. में बेलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, पर 1818 ई. में हेस्टिंग्ज ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 ई. में प्रेस संबंधी अधिकारपत्र लेने का अधिनियम बना, जिसे 1835 ई. में मेटकाफ़ ने समाप्त कर दिया। 1857 ई. तक यही स्थिति बनी रही।"[9]

यह कथन स्पष्ट करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न प्रारंभ से ही राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष से जुड़ा हुआ था। 1823 ई. में प्रेस संबंधी लाइसेंस अधिनियम लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी समाचार-पत्र के प्रकाशन के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। बिना अनुमति प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान था। इस कानून का भारतीय बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। 1835 ई. में लॉर्ड मेटकाफ ने पूर्व के कठोर प्रतिबंधों को हटाकर प्रेस को अपेक्षाकृत स्वतंत्रता प्रदान की। लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर पंजीकरण प्रणाली लागू की गई। इस कारण उन्हें भारतीय प्रेस का 'मुक्तिदाता' कहा गया।

1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर पुनः कड़ी निगरानी स्थापित की। राष्ट्रवादी विचारों को विद्रोह का कारण मानते हुए समाचार-पत्रों की गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया।

1878 ई. में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा विशेष रूप से भारतीय भाषाओं (हिन्दी, उर्दू, बंगाली आदि) के समाचार-पत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उस समय भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाएँ ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर रही थीं और जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर रही थीं, जिससे सरकार चिंतित थी। यह कानून केवल भारतीय भाषाओं के प्रेस पर लागू होता था, अंग्रेजी प्रेस को इससे मुक्त रखा गया। "सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी समाचार-पत्र को बिना न्यायालय की प्रक्रिया के बंद कर सकती थी। प्रकाशकों से जमानत राशि जमा कराई जाती थी, जिसे जब्त किया जा सकता था। यदि कोई पत्र सरकार के विरुद्ध सामग्री प्रकाशित करता, तो उसे तुरंत दंडित किया जा सकता था।"[10] इस अधिनियम के अंतर्गत अपील का अधिकार सीमित था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। इस कानून ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। प्रेस और जनता में भारी असंतोष फैला और इस कानून का व्यापक विरोध हुआ। तीव्र विरोध और आलोचना के कारण, 1882 ई. में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया।

1910 ई. का इंडियन प्रेस एक्ट भी अत्यंत कठोर था। इस विषय पर आशारानी व्होरा लिखतीं हैं- "सन 1910 के एक्ट द्वारा दो सौ छियासी समाचार-पत्रों को धमकी दी गई, सात सौ पाँच पत्रों पर जुर्माना लगाया गया और अनेक पत्रों की जमानत-राशियाँ जब्त कर ली गई। ज्यादतियाँ बढ़ने पर विरोध भी बढ़ा।"[11] इसके अंतर्गत सरकार को प्रेस की सामग्री जब्त करने, जमानत वसूलने और प्रकाशन बंद कराने का अधिकार प्राप्त था। असहयोग आंदोलन और अन्य राष्ट्रवादी आंदोलनों के समय इसका व्यापक उपयोग किया गया। इन दमनकारी कानूनों के बावजूद हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस की स्वतंत्रता का संघर्ष स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। ब्रिटिश नियंत्रण ने पत्रकारिता की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया तथा राष्ट्रीय चेतना को व्यापक आधार प्रदान किया। अनेक संपादकों और पत्रकारों को कारावास, आर्थिक दंड और सामाजिक उत्पीड़न सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा। वास्तव में, ब्रिटिश दमन ने पत्रकारिता की संघर्षशीलता को और अधिक प्रखर बना दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक और नैतिक बल प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष-

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण और प्रसार में अत्यंत महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्नीसवीं शताब्दी में उदन्त मार्तण्ड से आरंभ हुई यह धारा भारतेन्दु और द्विवेदी युग से होते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के काल में एक सशक्त राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में विकसित हुई। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने केवल समाचारों का प्रसारण नहीं किया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, सांस्कृतिक हीनता-बोध और राजनीतिक दासता के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष छेड़ा। उन्होंने जनता में आत्मसम्मान, स्वदेशी भावना और स्वतंत्रता की आकांक्षा को जागृत किया। ब्रिटिश शासन के दमनकारी प्रेस कानूनों, आर्थिक दंड और कारावास के बावजूद हिन्दी पत्रकारों ने निर्भीकता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। महात्मा गाँधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी और अन्य राष्ट्रवादी पत्रकारों ने सिद्ध किया कि पत्रकारिता राष्ट्र-निर्माण का सशक्त साधन हो सकती है। उनके लेखन और त्याग ने स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक आधार और जनसमर्थन प्रदान किया। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना को वैचारिक दिशा, संगठनात्मक शक्ति और नैतिक ऊर्जा प्रदान की। यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और समकालीन मीडिया की मूल प्रेरणा भी है। वर्तमान वैश्वीकरण और डिजिटल युग के संदर्भ में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में जहाँ सूचना के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, वहीं पत्रकारिता की जिम्मेदारी केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसे सत्य, निष्पक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को

E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 1 | (Jan – Mar 2026)

बनाए रखते हुए राष्ट्रहित में कार्य करना आवश्यक है। हिन्दी पत्रकारिता के ऐतिहासिक योगदान से यह प्रेरणा मिलती है कि वह भविष्य में भी राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ-सूची-

1. मिश्र, डॉ. कृष्ण बिहारी, हिंदी पत्रकारिता जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण-भूमि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 1968, पृष्ठ संख्या, 12
2. नटराज, जे, भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली, 1955, पृष्ठ संख्या, 16
3. चतुर्वेदी, वी, गाँधी और भारतीय पत्रकारिता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2006, पृष्ठ संख्या 67
4. व्होरा,आशारानी, स्वाधीनता सेनानी लेखक-पत्रकार, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या, 1
5. वही, पृष्ठ संख्या, 17
6. डॉ. नगेंद्र, डॉ. हरदयाल (स.), हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या, 511
7. तिवारी, डॉ. रामचंद्र, हिंदी का गद्य साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2014, पृष्ठ संख्या, 900
8. व्होरा,आशारानी, स्वाधीनता सेनानी लेखक-पत्रकार, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या, 1
9. डॉ. नगेंद्र, डॉ. हरदयाल (स.), हिंदी साहित्य का इतिहास, मयूर बुक्स, नई दिल्ली, 2020, पृष्ठ संख्या, 408
10. ग्रोवर, बी. एल., ग्रोवर यशपाल, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, एस. चंद एंड कंपनी, दिल्ली, 1998, पृष्ठ संख्या, 165
11. व्होरा,आशारानी, स्वाधीनता सेनानी लेखक-पत्रकार, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या, 17